राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 49/2016 – आ0नि0

समस्त ग्रामवासियान शिवरती, तहसील सहाडा बनाम जरिये प्रतिनिधिगण–

1. प्रभुलाल पिता बंशीलाल सुवालका निवासी शिवरती
2. शंकरलाल पिता हीरालाल जाट निवासी शिवरती
3. मांगीलाल पिता बालूराम शर्मा निवासी शिवरती
4. शंकरलाल पिता भैरूलाल ओझा निवासी शिवरती
5. नारायण सिंह पिता बगतावरसिंह राणावत निवासी शिवरती
6. भैरूलाल पिता केदारमल अग्रवाल निवासी शिवरती
7. लक्ष्मण छोगा पिता छोगा लुहार निवासी शिवरती
8. प्रहलाद पिता जगदीश लुहार निवासी शिवरती
9. जगदीशदास पिता भैरूदास वैष्णव निवासी शिवरती
10. सत्यनारायण पिता भैरूदास वैष्णव निवासी शिवरती
11. निवासराय पिता कन्हैयालाल महाजन निवासी शिवरती
12. भैरूलाल पिता रामलाल भील निवासी शिवरती
13. शंकरलाल पिता भंवरलाल जैन निवासी शिवरती तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

–प्रार्थीगण

1. भगवतीलाल पिता कंवरलाल हीरण निवासी गंगापुर
2. बालुलाल पिता लालुराम शर्मा निवासी मेघरास तहसील सहाडा
3. पंचदशनाम जूना अखाडा बड़ा हनुमान घाट, वाराणसी जरिये महन्त गोपीगिरी पिता महन्त चमनगिरी निवासी शिवरती तहसील सहाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर ।

––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन नियम 1970 विरूद्व आवंटन आदेश आवंटन कमेटी गंगापुर पत्रावली सं. 1170 सन् 1965

उपस्थित :–

1. श्री जे.सी. दाधीच अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री ओ.पी. सोनी अधिवक्ता – विपक्षी सं0 02 व 03 की ओर से
3. श्री सुरेन्द्र प्रताप सुवालका अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 31.07.2017

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन नियम 1970 प्रस्तुत हुआ, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम शिवरती के जन प्रतिनिधी हैं । विपक्षी सं. 01 के पिता कंवरलाल हिरण तहसील सहाडा मुकाम गंगापुर अहाते में स्टाम्प वेण्डर एवं प्रलेख लेखक थे , ने दिनांक 11.04.1965 को एक आवेदन ग्राम शिवरती की आराजी नम्बर 180 में से 20 बीघा जमीन आंवटन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रार्थी के नाम पर गंगापुर में कोई भूमि नहीं हैं । भू.अ.नि. की रिपोर्ट हुई कि प्रार्थी गंगापुर का रहने वाला है। मगर शिवरती की सरहद में से आराजी नम्बर 581 में से 5 बीघा भूमि लेना चाहता हैं। यह रिपोर्ट दिनांक 31.05.1965 को हुई , जिसको काटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जाकर 10 बीघा कर दी गई व प्रार्थना पत्र को मुकाम गंगापुर अलोट की मीटिंग में रखा गया व मृतक कंवरलाल पिता उगमलाल हिरण के नाम पर आराजी नम्बर 581 में से 10 बीघा जमीन काश्त हेतु दिनांक 31.05.1965 को आवंटित की गई । उक्त भूमि में आवंटी मृतक कंवरलाल द्वारा कभी भी काश्त नहीं की गई, क्योंकि वह काश्तकार नहीं था और वेण्डर के साथ–साथ अनुज्ञापत्र धारी प्रलेख लेखक था, किन्तु उसने फ्रॉड व मिसरिप्रजेन्टेशन करके असलियत को छिपाते हुए 10 बीघा जमीन आवंटित करा ली और यह 10 बीघा जमीन उसके खाते मे गैर खातेदारी हक से दर्ज हो गई, किन्तु आवंटन से अब तक भी आवंटित आराजी पर काश्त नहीं हुई । मृतक आवंटी ने दिनांक 12.12.1963 को एक विक्रयपत्र शिवनाथ सिंह पिता सज्जनसिंह निवासी गलवा की ओर से नरपत सिंह पिता सज्जन सिंह राजपूत के नाम पर प्रलेख लेखक की हैसियत से निष्पादित किया। इसके अलावा दिनांक 17.5.1965 को इसी मृतक आवंटी ने एक बक्षीसनामा गोकल पिता किशना कुम्हार निवासी आशाहोली की ओर से श्रीमती गटटु पत्नी किशन कुम्हार निवासी चांदरास के पक्ष में निष्पादित किया। मृतक आवंटी ने दिनांक 04.06.1965 को एक विक्रय पत्र सोहनलाल वल्द कजोडीलाल जोशी निवासी पोटलां की ओर से उदयराम पिता त्रिलोक सुथार निवासी पोटलां के पक्ष में लिखा । मृतक आवंटी ने दिनांक 24.07.1979 को एक विक्रयपत्र छोगा पिता रूपा बंजारा की ओर से गेहरू पिता घीसा व देवा पिता बालु कुमावत निवासी उम्मेदपुरा के नाम पर भी निष्पादित किया । आवंटित भूमि 581 में से रकबा 10 बीघा के नये नम्बर 581/1 रकबा 7 बीघा व 581/2 रकबा 3 बीघा जुमला 10 बीघा आवंटन से संवत् 2046 तक पडत ही रही । इसके बाद तहसील सहाडा का नवीन बंदोबस्त हुआ जिसमें साबिक आराजी नम्बर 581/1 के नये नम्बर 1085 व 581/2 के नये नम्बर 1084 बने । कंवरलाल पिता उगमलाल का दिनांक 04.08.1994 को इन्तकाल होने पर विरासत से इन्तकाल सं. 118 दिनांक 19.01.2001 को विपक्षी सं. 01 के नाम पर फैसल किया गया, किन्तु विपक्षी सं. 01 ने कभी भी इस आराजी पर काश्त नहीं की और विपक्षी सं. 01 ने दिनांक 20.8.2014 को उक्त आराजी नम्बर 1084 रकबा 0.65 हैक्ट. व आराजी नम्बर 1085 रकबा 1.51 हैक्ट. कुल किता 2 रकबा 2.16 हैक्ट. को विपक्षी सं. 02 के नाम पर विक्रय कर विक्रय विलेख निष्पादित कराकर उसका पंजीयन करा दिया । विपक्षी सं. 02 ने दिनांक 14.09.2016 को विपक्षी सं. 03 के नाम पर विक्रयपत्र निष्पादित कराकर उसका पंजीयन करा दिया । उक्त आराजी सार्वजनिक उपयोग की होकर बावडी बनी हुई हैं तथा समस्त ग्रामवासियान के आस्ता के केन्द्र हनुमान जी का मन्दिर भी इसी जमीन के पास बना हुआ हैं। तथाकथित आवंटन न तो जलसे आम में हुआ और न ही शिवरती में हुआ , अपितु मुकाम गंगापुर पर हुआ जिसका उल्लेख आवंटन आदेश में हो रहा हैं। ग्रामवासियान को प्रथम बार सितम्बर 2016 के अन्तिम सप्ताह में जब विपक्षी सं. 03 इस आराजी पर आकर निर्माण कार्य करवाने लगा तब प्रार्थीगण को जानकारी में आया , तब प्रार्थीगण बिना किसी देरी के यह आवेदन तथाकथित असलियत को छिपाते हुए फ्रॉड व मिसरिप्रजेन्टेशन से कराये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं । आवंटित आराजी ग्राम शिवरती तहसील सहाडा की सरहद में स्थित हैं। आवंटी मृतक कंवरलाल हिरण गंगापुर का निवासी था। उसका पुत्र विपक्षी सं. 01 सेवानिवृत प्रबन्धक केन्द्रीय सहकारी बैंक, भीलवाडा भी गंगापुर का निवासी है। विपक्षी सं. 02 मेघरास तहसील सहाडा का निवासी हैं तथा विपक्षी सं. 03 हाल शिवरती तहसील सहाडा में निवासरत हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर मृतक आवंटी कवंरलाल पिता उगमलाल हिरण निवासी गंगापुर ने फ्रॉड व मिसरिप्रजेन्टेशन करके तथा वास्तविकता को छिपाते हुए दिनांक 31.05.1965 को कराये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे । उसके बाद विपक्षी सं. 01 द्वारा विपक्षी

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)
न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

सं. 02 के पक्ष में व विपक्षी सं. 02 द्वारा विपक्षी सं. 03 के पक्ष में कराये गये विक्रय पत्र भी स्वतः निरस्त होने योग्य हैं, क्योंकि 'एब इनिशियो वॉइड' आवंटन को एब इनिशियो के आधार पर 'एब इनिशियो' हस्तान्तरणों को निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि वे तो स्वतः ही निष्प्रभावी एवं निरस्त हो जाते हैं।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.10.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा भू–आवंटन संबंधी रेकार्ड तलब किया गया। विपक्षी सं. 03 की ओर से दिनांक 23.03.2017 को जवाब प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं. 01 से लगायत 16 को दोहराते हुये मृतक आवंटी कवंरलाल पिता उगमलाल हिरण निवासी गंगापुर ने फ्रॉड व मिसरिप्रजेन्टेशन करके तथा वास्तविकता को छिपाते हुए दिनांक 31.05.1965 को कराये गये आवंटन को निरस्त कराये जाने की प्रार्थना की है । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं– 1990 आर.आर.डी पेज 465, 2015(1) डी.एन.जे. (राज.) पेज 443, 2002(9) आर.बी.जे. 146 (डी.बी.) (राज.हाईकोर्ट)

विपक्षी ने अपनी लिखित बहस में बताया कि प्रकरण में आवंटन नियम 1970 से पूर्व का हैं, जिससे उक्त नियम लागू नहीं होते हैं। प्रार्थीगण पूरे गांव का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय पीटीशन नम्बर 948/86 आर.बी.रे. 1995 में प्रसारित निर्णय अनुसार खातेदारी अधिकार मिलने के बाद माननीय न्यायालय में विचारणीय नही होकर राजस्थान काश्तकारी नियम के अन्तर्गत विचारणीय हैं। उक्त भूमि पर खातेदारों ने काफी लागत लगा रखी हैं व काश्त कर रहे हैं। उक्त आवंटन को हुये 50–60 वर्ष हो चुके है। जिससे लम्बे समय बाद प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दु पर ही काबिल खारिज के हैं। अतः प्रार्थना हैं कि उक्त प्रकरण में निस्तारण निर्णय अनुसार प्रकरण न्यायालय अति. जिला कलक्टर में चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में विधिक दृष्टान्त कमशः 1995(2) आर.बी.जे. पृष्ठ सं. 780 से लगायत 786 प्रस्तुत किये ।

उपभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया । भू आवंटन पत्रावली सं. 1170/65 अनुसार कवंरलाल पुत्र उगमलाल हिरण निवासी गंगापुर ने भूमि आवेदन नियम 1957 के नियम 2 के तहत तहसीलदार सहाडा को प्रस्तुत किया । आवेदन पत्र में ग्राम शिवरती के आ.नं. 180 में से 20 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना की हैं। प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी गंगापुर का रहने वाला है। आ. नं. 581 में से 5 बीघा भूमि लेना चाहता हैं। भू आवंटन कमेटी ने दिनांक 31.05.1965 को आ.नं. 581 में से 10 बीघा भूमि आवंटन की गयी । आवंटित भूमि दिनांक 10.07.1970 को सुपुर्द की गयी । आवंटी फौत हो चुका हैं । आवंटित भूमि भगवतीलाल पुत्र कवंरलाल महाजन साकिन गंगापुर के नाम पर दर्ज होकर उक्त खातेदार द्वारा बालूलाल पिता लालूराम शर्मा निवासी मेघरास को विक्रय किया। भूमि नामान्तरकरण सं. 997 दिनांक 39.2014 से केता बालूलाल पिता लालूराम के नाम दर्ज हो चुकी हैं । केता बालूलाल पिता लालूराम शर्मा निवासी मेघरास ने भी उक्त भूमि श्री पंच दशनाम जूना अखाडा बडा हनुमान घाट वाराणसी को विक्रय कर दी गयी । भूमि नामान्तरकरण सं. 1115 दिनांक 5.10.16 से दर्ज हो चुकी हैं।

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1957 के नियम 2 अनुसार "landless person shall mean a bonafide agriculturist by profession who

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

cultivates or can reasonably be expected to cultivate the land personally, who does not hold any land either in his own name or in the name of any member of his joint family, or who holds an area which is less than the minimum area prescribed for purpose of Sec. 53 of the Tenancy Act."

आवंटी ग्राम शिवरती का निवासी नहीं होकर ग्राम गंगापुर का निवासी रहा हैं। आवंटी का मुख्य व्यवसाय स्टाम्प वेण्डर व प्रलेख लेखक रहा हैं । प्रार्थी आवंटी 5 बीघा भूमि आवंटन चाहता था, लेकिन 10 बीघा भूमि आवंटन कर दी गयी । आवंटी ने आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की । आवंटित 08 बीघा भूमि में पानी भरता हैं। 02 बीघा भूमि में सार्वजनिक बावड़ी व हनुमानजी का मन्दिर बना हुआ हैं। आवंटी के नाम की भूमि का दो बार विक्रय हो चुका हैं। आवंटी सद्भावी कृषक नहीं हैं। आवंटी ने आवंटन होने के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि में एवं दूसरे वर्ष तक सम्पूर्ण आवंटित भूमि में काश्त नहीं की हैं। आवंटी राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1957 के नियम 2(3) के अन्तर्गत कृषक श्रेणी में नहीं आता हैं एवं नियम 14(3) की पालना आवंटी द्वारा नहीं की गयी । भू आवंटन सलाहकार समिति में सदस्य विधानसभा , पंचायत समिति के प्रधान , ग्राम का सरपंच तथा पंचायत समिति के विकास अधिकारी की उपस्थिति में भू आवंटन कार्यवाही की जानी होती हैं, लेकिन आवंटी के नाम पर की गयी भूमि आवंटन कार्यवाही में नियम 13 की स्पष्ट उल्लघंना की गयी हैं। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त क्रमशः 1995(2) आर.बी.जे. पृष्ठ सं. 780 से लगायत 786 इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं– 1990 आर.आर. डी पेज 465, 2015(1) डी.एन.जे. (राज.) पेज 443, 2002(9) आर.बी.जे. 146 (डी.बी.) (राज.हाईकोर्ट) जो इस प्रकरण पर लागू होते हैं। इस प्रकार मिसरिप्रेजेंटेशन (Misrepresentation) के आधार पर भूमि का आवंटन विपक्षी सं. 01 के पिता के नाम पर किया जाना प्रमाणित होता हैं । विपक्षी सं. 01 के पिता के नाम पर किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य (ab initio void) आवंटन होने से भूमि आवंटन दिनांक 31.05.1965 निरस्त किये जाने योग्य हैं । उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1957 के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार योग्य ठहरता हैं । अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1957 के अंतर्गत आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार किया जाता है एवं आवंटी श्री कंवरलाल पिता उगम लाल हिरण निवासी गंगापुर तहसील सहाडा के नाम ग्राम शिवरती के आराजी नं0 581 में से रकबा 10 बीघा भूमि दिनांक 31.05.1965 को किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है । निर्णय की प्रति तहसीलदार सहाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आवंटन पत्रावली जिला अभिलेखालय जिला कलक्टर कार्यालय को संप्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.07.17

(एल.आर. गुर्गरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा